



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2349/2018

अपीलार्थी

वरूण भारद्वाज
फ्लेट न0 एस-1, प्लॉट न. 65,
श्यामपुरी, झोटवाडा,
जयपुर, राजस्थान

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शिक्षा
संकुल भवन, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 16-05-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री ओम प्रकाश गुप्ता, एबीईओ उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 18-08-2017 के द्वारा कविता कुमारी अध्यापिका के चयन से संबंधित 10 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि आवेदन में वांछित सूचना कविता कुमारी अध्यापिका के चयन से संबंधित चाही गई है क्यों कि यह चयन गलत हुआ है। इसमें प्रत्यता कोटे से हुआ है फर्जीवाडे को उजागर करने के लिए सूचना चाही गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना का विनिश्चय दिनांक 30-11-2017 से प्रेषित किया जा चुका है जिसमें वांछित सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जे) के अनुसार अदेय बताया गया है एवं सर्वोच्च न्यायालय के गिरीश रामचन्द्र देश पाण्डे बनाम सीआईसी नई दिल्ली व अन्य एसएलपी नं. 27734/2012 में पारित निर्णय के अनुसार कार्मिक एवं नियोक्ता के मध्य का व्यवहार गोपनीय होने से एवं तृतीय पक्षकार की सूचना अदेय मानी गई है। इसी के अनुरूप सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रथम अपील के निर्णय की जानकारी नहीं होना बताया है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 19-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ

पत्र दिनांक 30-11-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है जो बलहीन है। राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय विधि अनुकूल है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त